

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 122/2021

(Bank Case)

GCMS NO - 2021/255

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्या पंजीकृत कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक प्रधान कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा-39007, गुजरात एवं कॉर्पोरेट कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई- 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा -324007 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश शर्मा।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1- महावीर रानीवाला पुत्र श्री महेन्द्र कुमार रानीवाला (ऋणी / बंधककर्ता)
पता-196-बी, श्रीनाथ पुरम, सेक्टर-बी, वार्ड नं. 7, तहसील लाडपुरा, कोटा
राज०- 324009

दूसरा पता- फार्म हाउस नं. एफ-6, पंडित मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस
स्कीम, कोटा राजस्थान-324009

तीसरा पता- बी-138-बी., आई.पी.आई.ए., कोटा राजस्थान-324005

2- श्री सर्वेश्वरी रानीवाला (सहऋणी)

पता-196-बी, श्रीनाथ पुरम, सेक्टर-बी, वार्ड नं. 7, तहसील लाडपुरा, कोटा
राज०- 324009

दूसरा पता- फार्म हाउस नं. एफ-6, पंडित मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस
स्कीम, कोटा राजस्थान-324009

तीसरा पता-ई-494, रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ एरिया, कोटा राजस्थान-324005

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17-11-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा-39007, गुजरात एवं कॉर्पोरेट कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई- 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा -324007 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 03.04.2015 को 67,25,000/- (अक्षरे सडसठ लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे श्री महावीर रानीवाला पुत्र श्री महेन्द्र कुमार रानीवाला की अचल सम्पत्ति फार्म हाउस नं. एफ-6, पंडित मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस स्कीम, कोटा राजस्थान-324009 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर मीटर है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 47,99,459/- (अक्षरे सैतलीस लाख नन्यावे हजार चार सो उनसठरूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.01.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 31.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 31.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता श्री महावीर रानीवाला पुत्र श्री महेन्द्र कुमार रानीवाला की अचल सम्पत्ति फार्म हाउस नं. एफ-6, पंडित मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस स्कीम, कोटा राजस्थान-324009 में स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर मीटर है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को सुनाया गया ।

3/17/11/21
(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)